न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय (आर0ए0एस0)
प्रार्थना पत्र संख्या :– 03/2018

उनवान

सुल्तान पुत्र इन्द्र सिंह उम्र 34 वर्ष जाति नट निवासी ग्राम धीमरी तहसील व जिला धौलपुर।

.....प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर।

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र धारा 152 जा0दी0

उपस्थित :–
श्री विनोद कुमार भार्गव एडवोकेट प्रार्थी।

निर्णय **दिनांक :–26.02.2018**

1. यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय की अपील संख्या 04/2006 (76 एल0आर0एक्ट) उनवानी सुल्तान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 17.03.2007 में संशोधन हेतु प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया।
3. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए, अभिलेखागार से मूल अपील पत्रावली तलब किये जाने का निवेदन किया।
4. हमने प्रार्थना पत्र एवं उसके साथ नत्थी नकल निर्णय का अवलोकन किया। प्रार्थी ने इस न्यायालय की अपील संख्या 04/2006 उनवान सुल्तान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 17.03.2007 की अप्रमाणित प्रति, प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न की है। हम सहमत है कि सरसरी तौर पर देखने से भू राजस्व अधिनियम की धारा 67 एवं सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 152 अन्तर्गत शुद्धि योग्य प्रकरण बनना प्रतीत होता है। परन्तु गहनता से विचार करने पर प्रार्थना पत्र की तुच्छता (Frivolousness) प्रकट होती है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी के विरूद्ध ग्राम सरानी खेडा तहसील धौलपुर के खसरा नम्बर 1091/125 रकबा 06 बीघा पर अतिक्रमण से बेदखली व शास्ति का आदेश तहसीलदार धौलपुर ने पारित किया था। जिसकी प्रथम अपील न्यायालय अति0 जिला कलक्टर धौलपुर के समक्ष प्रस्तुत होने पर, आदेश दिनांक 01.09.2006 से खारिज होने के पश्चात् इस न्यायालय से द्वितीय अपील सख्या 04/2006 अन्तर्गत 76 एल0 आर0 एक्ट उनवानी सुल्तान बनाम सरकार, निर्णय दिनांक 17.03.2007 से दोनों अधीनस्थ न्यायालय, तहसीलदार धौलपुर के आदेश दिनांक 18.03.2006 एवं अति0 जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 01.09.2006 निरस्त किये तथा प्रार्थी की नियमन की पात्रता जॉच हेतु प्रकरण आवण्टन सलाहकार समिति को प्रतिप्रेषित किया गया। प्रार्थना पत्र अनुसार प्रकरण में आवण्टन सलाहकार समिति का

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

क्षेत्र धौलपुर के स्थान पर राजाखेडा अंकित हो गया, जिसके संशोधन की प्रार्थना अब 11 वर्ष बाद प्रस्तुत की गयी है। हमने तथ्यों पर मनन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में 11 वर्ष का असाधारण विलम्ब है, जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। कोई भी प्रार्थना पत्र न्यायालय में यथा सम्भव शीघ्र अथवा सकारण (REASONABLE) विलम्ब के स्पष्टीकरण के साथ ही प्रस्तुत किया जा सकता है। यह प्रार्थना पत्र अस्पष्टीकृत सुदीर्घ विलम्ब के कारण ग्राह्य नहीं है। इसके अतिरिक्त इस अन्तराल में यदि प्रार्थी का अतिक्रमण निरन्तर रहा है तो प्रार्थी स्वयं तहसीलदार को नियमन की सिफारिश हेतु निवेदन करने को स्वतन्त्र था एवं तहसीलदार द्वारा भी स्वः विवेक से नियमन की सिफारिश, आवण्टन सलाहकार समिति को प्रेषित की जा सकती थी। इसके विपरीत यदि प्रार्थी का कब्जा निरन्तर नहीं रहा है तो प्रार्थी की नियमन की पात्रता समाप्त हो जाती है। इस प्रकार जो अनुतोष प्रार्थी, इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से चाह रहा है, उस अनुतोष से वह यथास्थिति में भी वंचित नही है। इसके अतिरिक्त अतिक्रमण का नियमन किया जाना कोई वैधानिक अधिकार नहीं होकर प्रशासनिक प्रक्रिया है। हम 11 वर्ष के विलम्ब, जिसका कोई स्पष्टीकरण भी प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं है, को नजर अन्दाज कर इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रशासनिक कार्यवाही को बढाना वांछनीय नहीं पाते हैं। यह प्रार्थना पत्र तुच्छ (Frivolous) प्रकृति का है। तहसीलदार अतिक्रमण के सन्दर्भ में विधि व राजकीय निर्देशों के अनुसार कार्यवाही को स्वतंत्र हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम प्रार्थना पत्र खारिज योग्य पाते हैं।

5. अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें। बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 26.02.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official